

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937

No. 331]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2015

विषय : ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत-के संबंध में।

सं. 14/7/2015-डीजीएडी—मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि., मै. एचएनजी फ्लोट ग्लास लि. और मै. सेंट-गोबैन इंडिया प्रा. लि. (जिन्हें आगे आवेदक या याचिकाकर्ता भी कहा गया है) ने संयुक्त रूप से समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष ईरान (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की

सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि., मै. एचएनजी फ्लोट ग्लास लि. और मै. सेंट-गोबैन इंडिया प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है। इनके अलावा गुजरात गार्डियन लि. (जीजीएल) और एआईएस भी संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं। तथापि, एआईएस ने मई, 2014 से अपनी फ्लोट ग्लास विनिर्माण सुविधाओं को बंद कर दिया है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लि., मै. एचएनजी फ्लोट ग्लास लि. और मै. सेंट-गोबैन इंडिया प्रा. लि. का समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 'प्रमुख हिस्सा' बनता है और यह समान वस्तु के भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है।

4. अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों शामिल) के रेंज की मामूली मोटाई के क्लियर फ्लोट ग्लास" हैं जिनकी मामूली मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है (जिन्हें आगे 'संबद्ध वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' भी कहा गया है)।

6. क्लियर फ्लोट ग्लास का प्रयोग निर्माण, दर्पण, सौर ऊर्जा उद्योग आदि में किया जाता है। यह उत्पाद शीशे की उच्चतर गुणवत्ता का है। अपनी अंतर्निहित मजबूती, उच्च ऑप्टिकल स्पष्टता, डिस्टारशन मुक्त समतल सतह आदि के कारण इस उत्पाद के अनुप्रयोग अनेक प्रयोजनों के लिए बढ़ रहे हैं। संबद्ध वस्तु को 'शीशा और शीशे की वस्तुएं' अध्याय शीर्ष 70 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8-अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 7005 1090 है यद्यपि इसका वर्गीकरण और आयात विभिन्न उपशीर्षों जैसे 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 आदि के अंतर्गत भी किया जा रहा है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु एक समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को ईरान से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

8. वर्तमान जांच में शामिल देश ईरान है।

सामान्य मूल्य

9. आवेदकों ने ईरान के संबंध में सामान्य मूल्य का परिकलन यह बताते हुए किया है कि न तो उन्हें संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में समर्थ रहे और न ही वह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। अतः प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्य के आधार पर संबद्ध देश से संबद्धवस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्टया विचार किया है।

निर्यात कीमत

10. आवेदकों द्वारा निर्यात कीमत का दावा इंडोड्राइव प्रा. लि. कोलकाता से प्राप्त आकड़ों के आधार पर किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, कमीशन, बैंक प्रभारों, ऋण लागत, पत्तन प्रहस्तन और पत्तन प्रभारों आदि के लिए कीमत संबंधी समायोजनों की अनुमति दी गई है। पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देश के संबंध में भारी पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. आवेदकों ने पाटित आयातों की बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, उत्पादन, कीमत और लाभप्रदता ह्रास, नियोजित पूंजी पर आय, नकद प्रवाह, बाजार हिस्सा, क्षमता उपयोग में गिरावट के परिणाम के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 01.01.2014 से 30.06.2015 तक की है। तथापि क्षति के विश्लेषण करने के लिए पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2011- मार्च 2012, अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014 और जांच की अवधि (पीओआई) के आकड़ों पर विचार किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से जाँच से संगत अनुरोध कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएं:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग**

**भारत सरकार
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना होगा।

समय-सीमा

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस जांच की शुरुआत के पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरुआत की अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना मूल प्रति तथा साफ्ट प्रति दोनों में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

19. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पाँच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

20. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि

गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

24. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

DEPARTMENT OF COMMERCE

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2015

Subject: Initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of Clear Float Glass originating in or exported from Iran.

No. 14/7/2015-DGAD.—M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s HNG Float Glass Ltd. and M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd (hereinafter referred to as the applicants or the petitioners), have collectively filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of Clear Float Glass (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Iran (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority finds prima facie that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry and Standing

3. The Application has been filed by M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s HNG Float Glass Ltd. and M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd., on behalf of the domestic industry. Apart from that Gujarat Guardian Ltd. (GGL) and Ashai India Glass Limited (AIS) are also producers of the subject goods. However, AIS had closed its Float Glass manufacturing facilities since May 2014 and, therefore, they are currently no longer part of Float Glass industry. As per the evidence available on record, the production of M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s HNG Float Glass Ltd. and M/s Saint-Gobain India Pvt. Ltd. accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article and is more than 50% of Indian production of the like article.
4. The Authority, therefore, determines that the applicants constitute domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

5. The product under consideration in the present application is "Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)", the nominal thickness being as per BIS14900:2000 (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "Product under Consideration").
6. Clear Float Glass is used in construction, refrigeration, mirror, solar energy industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the applications of the product have been increasing for different purposes. The subject goods are classified under Chapter Heading 70 "Glass and glassware". The classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 and 7020 etc. It is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope of the investigation.

Like Article

7. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from Iran.

Country involved

8. The country involved in the present investigation is Iran.

Normal Value

9. The applicants have constructed the normal values in respect of Iran stating that neither they were able to get any documentary evidence or reliable information with regard to the domestic prices of the subject goods in the subject country nor the same is available in the public domain. The Authority has thus prima-facie considered the normal value of the subject goods in the subject country on the basis of constructed value as made available by the applicants for the purpose of the initiation.

Export Price

10. The applicants have claimed export prices on the basis of data obtained from Infodrive India Pvt. Ltd, Kolkata. Price adjustments have been allowed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, commission, bank charges, credit cost, port handling and port charges etc. to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of the export prices of the subject goods from the subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Dumping Margin

11. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows prima facie significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

12. The applicants have furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, price suppression and profitability, return on capital employed, cash flow, market share, capacity utilization etc. of the domestic industry. There is sufficient evidence of injury being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from the subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Period of Investigation

13. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from January, 2014 to June, 2015. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e., April 2011 to March-2012, April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014, and the period of investigation (POI) will be considered.

Submission of information

14. The known exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

The Designated Authority,

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,

Ministry of Commerce & Industry,

Department of Commerce

Government of India

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi-110001

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

16. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the communication of initiation of this investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of the initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

18. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

(a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

19. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

20. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or

if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

24. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

25. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

26. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. Bhalla, Designated Authority